कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर

(1)

क्रमांक–क्यू/रीडर/विविध/2018 ग्वालियर, दिनांक फरवरी 2018

PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2018/1730 (5)

प्रति,

माननीय अध्यक्ष
न्यायालय राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

3/18

विषय :– माननीय न्यायालय के प्र.क्र.– निग–1248 पी.बी.आर. 2016 आदेश दिनांक 21.04.2016 को पारित आदेश के पुनर्विलोकन बावत् ।

––00––

विषयांकित प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्र.क्र. निग–1248 पी.बी.आर. 2016 आदेश दिनांक 21.04.2016 को पारित आदेश के संदर्भ में राजेश पुत्र सोबरनसिंह आदि बनाम म.प्र. शासन द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–गिरवाई में ग्राम नीमचंदोहा के सर्वे क्रमांक 1/1 रकवा 8 बीघा 4 विस्वा (1.714 है0) सोबरन सिंह की मृत्यु उपरांत वारिसानों के नाम नामांतरण शासकीय अभिलेख में अमल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के संदर्भ में नामांतरण के पूर्व अभिलेखों का परीक्षण नायब तहसीलदार वृत्त–गिरवाई एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर द्वारा किया गया है, जो सुलभ संदर्भ हेतु परिशिष्ट–अ पर संलग्न है । इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम नीमचंदोहा के सर्वे क्रमांक 1 रकवा 10 बीघा 17 विस्वा एवं इसका बटा नम्बर 1/1 रकवा 8 बीघा 4 विस्वा (1.714 है0) शासकीय जंगलात भूमि है । प्रथम दृष्ट्या इसमें कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रथम बार खसरा वर्ष 1968 में सोबरन पुत्र महाराजसिंह का नाम दर्ज हुआ है । इसमें किसी भी सक्षम आदेश का हवाला अंकित नहीं है । बी–1 वर्ष 1959 में खाता नं. 4 में सोबरन सिंह के नाम सर्वे नम्बर 1/1 रकवा 8 बीघा 4 विस्वा (1.714 है0) अंकित है एवं मि.न. 228 X 58/1958 आदेश दिनांक 22.06.1998 से सोबरन पुत्र महाराज पक्का कृषक स्वीकार टीप अंकित है, जो कि भिन्न स्याही से लिखा जाना परिलक्षित होता है, जिससे सोबरन सिंह का इस भूमि पर पट्टा होना संदेहास्पद प्रतीत होता है ।

2/ यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1/1 रकवा 8 बीघा 4 विस्वा (1.714 है0) एहतमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में इस भूमि पर पट्टा देने का अधिकार किसी भी राजस्व अधिकारी को नहीं है । साथ ही प्रकरण में वन विभाग को भी नहीं सुना गया है ।

3/ प्रकरण के पुर्नविलोकन में लिये जाने के अभिलेखीय आधार निम्नानुसार हैं :–

3.1 मिसिल बंदोवस्त संवत् 1996–1997 अर्थात् सन् 1939–40 का खसरा **(संलग्न परिशिष्ट–1)** में ग्राम नीम चंदोहा के भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकवा 10 बीघा 17 विस्वा (2.268 है0) कॉलम नं. 5 में मिल्कियत सरकार ग्वालियर गर्वमेंट एवं मालिक के कॉलम नं. 6 में जरे एहतमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुन्दर्ज खेवट नं. 2 के नाम तथा नोईयत जंगलात दर्ज है । काश्तकार के कॉलम नं. 8 में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है । खतौनी वर्ष 1939–40 **(संलग्न परिशिष्ट–1क)** में सर्वे नम्बर 1 जंगलात विभाग के खाते में दर्ज है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2018/1730

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1248-पीबीआर/2016 आदेश दिनांक 21-4-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 6-3-2018 को डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में छूट मांगे जाने का अथवा विलंब के कारणों के स्पष्टीकरण का कोई आवेदन या विवरण भी नहीं दिया है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- ''धारा 5-व्याप्ति -अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत -अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।'' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	